सूचना का अधिकार

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जबलपुर संभाग जबलपुर

संक्षिप्त जानकारी

1. संगठन का विवरण कार्य तथा कर्तव्य (अ) संगठन

संयुक्त संचालक
01

तकनीकी सहायक
01

प्रमुख कलाकार
01

कलाकार
06

लिपिक

सहायक वर्ग–2	सहायक वर्ग–3
02	08

वाहन चालक
01

समूहा परिचारक
01

भृत्य
08

चौकीदार,	नौकर,	स्वच्छक
01	01	01

कार्य

- जिले के ग्रामीण एवं शहरी निकाय की गतिविधियों और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजनो के लिये वार्षिक योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
- किसी विधि द्वारा सोची गई योजना/उन योजनाओं जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सौपी गई हो की वार्षिक योजना तैयार करना।
- विभिन्न योजना की राशि जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो उन निधियों को राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार वितरित करना।
- नगरीय निकाय/ जनपद पंचायत के साथ ग्रा पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन मूल्यांकन, निगरानी करना एवं उनका मार्गदर्शन करना।
- विकास संबंधी क्रियाकलापों, निःशक्तों, निराश्रितों, महिलाओं, युवाओं, बालको तथा समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण के कार्य।

2. अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य

➢ **संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण**

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण

➢ **लेखापाल**

संपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के आय व्यय का लेखा रखना एवं बजट इत्यादि तैयार करना।

3. निर्णय लेने की प्रकिया में लागू होने वाली प्रणाली, निरीक्षण तथा जवाबदेहिता की प्रणाली

- कार्यो के विभाजन के अनुसार विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों (स्थापना शाखा, न्यायालयीन शाखा निःशक्त कल्याण, आवक जावक शाखा एवं लेखा शाखा, कलापथक शाखा) द्वारा शासन से समय–समय पर प्राप्त होने वाली दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नियत्रंण अधिकारी अर्थात संयुक्त संचालक के समक्ष प्रस्तुत करते है। संयुक्त संचालक द्वारा जनहित एवं विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया जाता है।
- यह कार्यालय राज्य शासन के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है।
- संयुक्त संचालक द्वारा गतिविधियों के संचालन की नियमित निगरानी की जाती है। संयुक्त संचालक द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के कार्यो का निरीक्षण स्वयं किया जाता है। यदि इसमें किसी प्रकार की अनिमितताये पायी जाती है तो उसके द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही की जाती है।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हे सौपी गई योजनाओ का निरीक्षण एवं मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है।

4. मापदण्डो का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये

- राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के पृथक–पृथक दिशा निर्देश तय किये गये है इन्ही दिशा निर्देशों का पालन कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है।
- कृत्यों का पालन दिशा निर्देशों में दी गई समय–सीमा में किया जाता है।
- दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नही इसका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है।

5. नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियत्रंण में या उसके कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये।

- राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन किया जाता है।
- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पालन हेतु जानकारी/निर्देश दिये जाते है।

6. **दस्तावेज प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो।**

- योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड पृथक–पृथक शाखा प्रभारी स्तर पर/शाखा स्तर पर रखा जाता है।
- अभिलेखों का त्रैमासिक, अर्द्ववार्षिक, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा वार्षिक सत्यापन भी किया जाता है।

7. **लोक सदस्यों से नीतियों के विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण।**

- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यो के लिये परामर्श एवं सुचारू संचालन हेतु समितियॉ गठित की गई है।

1. जिला विकलांग कल्याण तथा विकास समिति।
2. जिला लोकल लेवल कमेटी।
3. दीनदयाल अन्त्योदन मिशन कार्यकारिणी समिति, प्रबंधकारिणी समिति।
4. माता पिता वरिष्ठ नगरिक भरण–पोषण जिला स्तरीय समिति।

- संयुक्त संचालक द्वारा समिति से परामर्श एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से समय निर्धारित किया जाता है।

8. **उन बोर्डो परिषदों कमेटियों तथा निकायों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये है , का विवरण एवं इस बात का विवरण किया क्या उनके बोर्डो परिषदों , कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले है।**

- नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के तहत स्वपरायण प्रमस्तिष्कघात मानसिकमंद एवं बहुविकलांग निःशक्त हितग्राहियों हेतु जिला लोकल लेवल कमेटी गठित है।

9. **अधिकारियों एवं कर्मचारियों/नियोजितों की निर्देशिका**

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका शासन द्वारा निर्धारित की गई है अतः " सिविल सेवा आचरण एवं अवकाश नियम एवं शर्तो का पालन किया जाता है।

10. **मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/ प्रतिकर की पद्वति।**

- शासन द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों /मानदण्डों के अनुरूप भुगतान किया जाता है। जो निम्नानुसार है–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतन	ग्रेड पें	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती राजश्री राय	संयुक्त संचालक	35160	7600	
2	श्री एम.एल. साहू	कनिष्ठ तांत्रित सहायक	20140	4200	
3	" एस.एस. आहके	प्रमुख कलाकार	11150	2100	
4	" बी.पी. झारिया	कलाकार	13150	3200	
5	" के.एल. दीक्षित	कलाकार	13150	3200	
6	" शिशुपाल सिंह	कलाकार	13150	3200	
7	" के.सी. महोबिया	कलाकार	11840	3200	
8	" मो. यासीन	कलाकार	11310	3200	
9	" धर्मेश अमरवंशी	कलाकार	10360	2800	
10	" आर.के. जैन	सहायक वर्ग–2	16320	2800	

11	‘‘ पुरूषोत्तम कोल	सहायक वर्ग–2	16020	2800	
12	‘‘ जी. डी. यादव	सहायक वर्ग–3	11850	2400	
13	‘‘ श्रवण कुमार श्रोती	सहायक वर्ग–3	13150	2800	
14	श्रीमती किरण अग्निहोत्री	सहायक वर्ग–3	12150	2800	
15	श्रीमती क्षमा महरोलिया	सहायक वर्ग–3	11500	2800	
16	श्री कमलेश नापित	सहायक वर्ग–3	8800	1900	
17	‘‘ गोविन्द श्रीवास्तव	सहायक वर्ग–3	12890	2800	पाटन विद्यायक के कार्यालय में सम्वद्व है।
18	‘‘ डी.एस. राजपूत	सहायक वर्ग–3	13880	2800	
19	‘‘ प्रतीक कटारे	सहायक वर्ग–3	6650	1900	
20	कु. मनीषा गोस्वामी	स्टेनो टाईपिस्ट	5200	1900	
21	‘‘ कैलाश सिंह पटैल	कम्प्यूटर आपरेटर सह सहायक वर्ग–3	–	–	रूपये 13000/– प्रतिमाह मानदेय पर।
22	‘‘ आर.के. तिवारी	सहायक वर्ग–3	12880	2800	अधीक्षक राज्य अपंग कल्याण संस्थान जबलपुर में पदस्थ।
23	कुमारी नीता ठाकुर	सहायक वर्ग–3	10120	2400	अधीक्षक राज्य अपंग कल्याण संस्थान जबलपुर में पदस्थ।
24	श्री रामकुमार केवट	वाहन चालक	9030	2400	
25	‘‘ थानसिंह परस्ते	समूहा परिचारक	9840	1900	
26	‘‘ रघुराज सिह बरकडे	भृत्य	9090	1800	
27	‘‘ फूलचन्द बर्मन	भृत्य	9330	1800	
28	श्रमती विमला अग्रवाल	भृत्य	8360	1800	
29	श्रीमती मीना बडगैया	भृत्य	8250	1800	
30	श्री सुरजीत सिंह कुशवाहा	भृत्य	8060	1400	
31	‘‘ महेन्द्र कुमार झारिया	भृत्य	8980	1800	
32	‘‘ रवि कुमार रजक	भृत्य	5380	1300	
33	‘‘ अजय श्रीवास्तव	वाहन स्वच्छक	5180	1300	
34	‘‘ प्रकाश साहू	चौकीदार	6239	2500 विशेष भत्ता	कलेक्टर दर पर
35	‘‘ विपिन शर्मा	नौकर	6239		कलेक्टर दर पर
36	‘‘ अजय	स्वच्छक	3019		अंशकालिक

11. अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी इत्यादि।

1. **<u>उद्वेश्य–</u> प्रदेश के विकलांग छात्रों को शिक्षण–प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देकर उन्हे आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।**

- उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना के तहत।
- 10+2 के पश्चात मेडीकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक, स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय अशासकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायोग प्रदान करना।
- शिक्षण शुल्क– सम्पूर्ण।
- निर्वाह भत्ता 1500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह का 15000/–
- परिवहन भत्ता नगर निगम क्षेत्र में 500/– रूपये प्रतिमाह, नगर पालिका क्षेत्र में 300/– प्रतिमाह प्रतिमाह की दर से 10 माह तक।

2. **विकलांगो के विशेष साधन/उपकरण देना–**

- इस योजना के तहत दृटिबाधित/श्रवणबाधित एवं विकलांग व्यक्तियों का शारीरिक दोष दूर करने तथा सहायता हेतु विशेष साधन/उपकरण प्रदाय किया जाना। जिसके अंतर्गत डॉ. की सलाह पर अंग प्रत्यारोपण कैलीपर्स, जूते, बैसाखी, श्रवणयंत्र, टाईसाईकल, व्हील चेयर, छडी, इत्यादि उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। जो जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी.) के माध्यम से वितरण किया जाता है।

3. **<u>समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना</u>–**

<u>पात्रता के मापदण्ड</u>–

- मध्य प्रदेश के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्व।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा।
- 18 से 59 वर्ष की परित्यक्तता महिला।
- 6 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्तजन (न्यूनतम निःशक्तता 40 प्रतिशत)

<u>आवश्यक दस्तावेज</u>–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- निःशक्त होने पर चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का प्रमाण पत्र।
- विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्तता होने पर सरपंच/सचिव, वार्ड पार्शद/राजस्व निरीक्षक का संयुक्त प्रमाण पत्र न्यायालयीन आदेश।

<u>पेंशन राशि</u>– राज्यांश से 150 रूपये प्रतिमाह।

4. **<u>इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना</u>**

<u>पात्रता के मापदण्ड</u>–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 वर्ष अथवा अधिक आयु के वृद्व/वृद्वा।

आवश्यक दस्तावेज–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।

पेंशन राशि–

- 60 से 64 वर्ष – 200/– रूपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।
- 65 से 79 वर्ष – 275/– (200/– रूपये केन्द्रांश 75/– रूपये राज्यांश) प्रतिमाह।
- 80 वर्ष से अधिक – 500/– रूपये (केन्द्रांश) प्रतिमाह।

5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिला।

आवश्यक दस्तावेज–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

पेंशन राशि–

- 300/– रूपये प्रतिमाह (केन्द्रांश)

6. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह के 80 प्रतिशत सीवियर डिसेबिलिटी वाले निःशक्तजन।

आवश्यक दस्तावेज–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- चिकित्सक द्वारा जारी 80 प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र।

पेंशन राशि–

- 300/– रूपये प्रतिमाह (केन्द्रांश)

7. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो।
- दंपत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
- दंपत्ति की संतान मात्र पुत्री हो, पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।
- दंपत्ति आयकर दाता न हो।

आवश्यक दस्तावेज–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- राशन कार्ड।
- आयकर दाता नही होने एवं न ही संतान के रूप में पुत्र होने का 50 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित शपथ पत्र।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- अन्य दस्तावेज– विधवा अथवा परित्यक्तता होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्तता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।

सहायता राशि–

- 500/– रूपये प्रतिमाह (राज्यांश)

8. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना चाहिए।
- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक 59 वर्ष से कम होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज–

- फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आयु के लिए कोई एक दस्तावेज– स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र उम्र का कोई दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में एफ.आई.आर. (FIR)

सहायता राशि–

- 20000/– रूपये (केन्द्रांश)

विशेषः–

- पेंशन योजनाऐं एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 में निहित है। इन योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद विहित प्राधिकारी अधिकृत है, योजनाओं में स्वीकृति, क्रियान्वयन हेतु सक्षम अधिकारी भी अधिकृत है।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना को छोडकर समस्त योजनाओं में आवेदन निराकरण के लिए 60 कार्य दिवस नियत है।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन निराकरण के लिए 30 कार्य दिवस है।

9. अन्त्येष्टि सहायता योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- मृतक मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
- मृतक लावारिस, अत्याधिक निर्धन या निराश्रित हो।

आवश्यक दस्तावेज–

- मृतक के अंतिम संस्कार/विश्रामघाट/कब्रिस्तान आदि द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- दुर्घटना झगड़ा आदि की स्थिति में मृत्यु होने पर एफ.आई.आर.।
- लावारिस शव होने पर एफ.आई.आर. एवं पंचनामा।
- चिकित्सालय में मृत्यु होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र।

10. आम आदमी बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज–

- आयु प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र।
- अपंगता की दशा में जिला मेडीकल बोर्ड का निःशक्तता प्रमाण पत्र।

सहायता राशि–

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/– रूपये।
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000/– रूपये।
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9 वी से 12 वी अध्ययनरत् 2 छात्र प्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रूपये शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जावेगी।

11. जनश्री बीमा योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीमित सदस्य।

आवश्यक दस्तावेज–

- आयु प्रमाण पत्र।
- परिवार का मुखिया होने का प्रमाण पत्र।

सहायता राशि–

- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75,000/– रूपये।
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000/– रूपये।
- दुर्घटना में एक ऑख या एक हाथ या पॉव अक्षम होने पर 37000/– रूपये।
- बीमा अवधि समाप्त होने पर पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– रूपये बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

- 9 वी से 12 वी अध्ययनरत् 2 छात्र प्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रूपये शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जावेगी।

12. मंदबुद्वि/बहुविकलांग आर्थिक सहायता योजना

पात्रता के मापदण्ड–

- 6 वर्ष या इससे अधिक आयु समूह के मानसिक मंदित/बहुविकलांग निःशक्तजन।

आवश्यक दस्तावेज–

- संयुक्त फोटोयुक्त निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।
- आवेदन के साथ मानसिक मंदित/बहुविकलांग होने का न्यूनतम 40 प्रतिशत का निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीकृत बैंक में संयुक्त खाता।
- आयु, जाति, निवास का प्रमाण पत्र।

सहायता राशि–

- 500/– रूपये प्रतिमाह (राज्यांश)

13. निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना 2008

पात्रता के मापदण्ड–

- मध्यप्रदेश की निवासी हो।
- लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा की परीक्षा में उर्त्तीर्ण हों।

आवश्यक दस्तावेज–

- प्रारंभिक/ मुख्य परीक्षा में एवं अंति चयन होने का प्रमाण पत्र।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 03 माह के भीतर निर्धारित आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

सहायता राशि–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20000/– रूपये
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30000/– रूपये।
- अंतिम चयन होने पर 20000/– रूपये।
- प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी।

14. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008

पात्रता के मापदण्ड–

- निःशक्त दंपत्ति मध्यप्रदेश की निवासी हो।
- दंपत्ति में से दोनो या एक कोई भी निःशक्त हो जिसे जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत का निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हों।
- विवाह का पंजीयन सक्षम अधिकारी (विवाह अधिकारी) का होना आवश्यक है।
- विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हों।
- दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आपराधिक मामले में न्यायालय से दंडित न किया गया हों।

- दंपत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति रिवाज या समक्ष न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से हुआ है।

आवश्यक दस्तावेज–

- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- विवाह प्रमाण पत्र(विवाह पंजीयन सक्षम अधिकारी का)
- निर्धारित प्रारूप में 50 रूपये के स्टाम्प पेंपर पर शपथ पत्र।

सहायता राशि–

- दंपत्ति में से कोई भी एक की निःशक्तता प्रमाण पत्र होने पर 50000/– रूपये का संयुक्त नाम से चैक एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।
- दंपत्ति के दोनो सदस्यो के निःशक्तता प्रमाण पत्र होने पर 100000/– रूपये का संयुक्त नाम से चैक एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जावेगा।

टीप– प्रोत्साहन राशि केवल एक बार देय होगी। विवाह विच्छेद की स्थिति में प्रोत्साहन राशि की संपूर्ण राशि दंपत्ति वापस करने के लिए उत्तरदायी होगें और वह राशि भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूली योग्य होगी।

15. निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु योजनाऐें

निःशक्त प्रोत्साहन योजना–

- कक्षा 8 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं 9 वी कक्षा में नियमित प्रवेश लेने तथा 10वी की परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं 11 वी में नियमित प्रवेश लेने पर।
- कक्षा 12 वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने पर
- निःशक्त छात्रवृत्ति नियमित अध्ययरनरत छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 12 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज–

- परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- नियमित रूप से अध्ययनरत् का संबंधित संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण।

सहायता राशि–

- कक्षा 8 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं नियमित प्रवेश लेने पर 2500/– प्रत्येक वार प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- कक्षा 10 वी की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं नियमित प्रवेश लेने पर 2500/– प्रत्येक वार प्रोत्साहन राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।
- कक्षा 12 वी की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने एवं महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लेने पर 3000/– एक मुश्त संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय जबलपुर द्वारा स्वीकृत की जाती है।

16. <u>निःशक्तता के क्षेत्र में संचालित शासकीय/अशासकीय संस्थाऐं –</u>

<u>शासकीय संस्थाऐं–</u>

1. शासकीय दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर।
2. शासकीय श्रवणबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर।
3. राज्य निःशक्तजन कल्याण संस्थान जबलपुर।
4. मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह जबलपुर।

<u>राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाऐं–</u>

- विकलांग सेवा भारती पुलिस लाईन जबलपुर।
- स्नेह निकेतन गोरखपुर जबलपुर।

<u>निराश्रित निधि से अनुदान प्राप्त संस्थाऐं –</u>

- वृद्वाश्रम जबलपुर।
- जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र जबलपुर।

केन्द्रीय अनुदान प्राप्त संस्थाऐं–

- जस्टिस तन्खा मेमोरियल रोटरी इस्टीटयूट फॉर स्पास्टिक एण्ड हेण्डीकेप्ड चिल्ड्रन जबलपुर।
- विकलांग सेवा भारतीय जबलपुर।
- आशा आवा (आशा आमी) स्कूल 2 टी.टी. आर सिग्नल टेनिंग सेंटर।
- वन्दन पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान जबलपुर।

विभागीय मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाऐं–

- महाकौशल नव ज्योति सोसायटी नवज्योति स्पेशल स्कूल जबलपुर।
- समन्वय परिवार सेवा कन्द्र जबलपुर।

<u>नशाबंदी योजनाः–</u>

- न्यू शिक्षा प्रचार–प्रसार एवं समाज कल्याण समिति नवज्योति नशामुक्ति एवं पुर्नवास केन्द्र जबलपुर। (केन्द्रीय अनुदान प्राप्त)
- रेड स्वास्तिक सोसायटी सदभाव नशामुक्ति केन्द्र जबलपुरं

<u>कलापथक योजनाः–</u>

- इस योजना के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार खुले मंच के माध्यम से कलाकारों द्वारा नाटक/गीत के माध्यम से जनपद स्तर ग्राम पंचायत स्तर कार्यक्रम आयोजित कर किया जाता है।

12. <u>अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरणः–</u>

- जिला अंतर्गत संचालित अशासकीय संस्था स्नेह निकेतन एवं विकलांग सेवा भारती जो कि विकलांग कल्याण में कार्य कर रही है, जो राज्य शासन से मान्यता प्राप्त किये जाने के पश्चात राज्य शासन दिये गये अनुदान शासन निर्देशों के तहत उपलब्ध अनुदान राशि में से स्वीकृत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

टीपः– उपरोक्त दोना संस्थाओं में क्रमशः 39–50 निःशक्तजन छात्र–छात्राओं जो को लाभांवित किया जा रहा है।

13. <u>दी गई रियायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टयॉः–</u>

- शासकीय सेवा में कार्यरत निःशक्त विकलांग व्यक्ति को वृत्तिकर छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

14. धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना के बारे में विवरण :–

- योजनाओं के साथ–साथ अन्य जानकारियां भी कम्प्यूटराईज की गई है। एवं समस्त अभिलेख कम्प्यूटर पर तैयार करने के पश्चात उन्हे इलेक्ट्रानिक्स रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जानकारी मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल के विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध है।

15. नागरिकों को सूचनाये प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं की विशिष्टियां पर वाचनालय या रीडिंग रूम के कार्यकारी घंटे :–

- नागरिको द्वारा जानकारी मांगने पर कार्यालय में जानकारी सुरक्षित रखी गई है।
- जानकारी मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल के विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध है।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पद संख्या :–

- अपीलीय अधिकारी – श्री एस.एन. रूपला, कलेक्टर जिला जबलपुर।
- लोक सूचना अधिकारी – श्रीमती राजश्री राय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जबलपुर।
- सहायक लोक सूचना अधिकारी – श्री मोहन लाल साहू कनिष्ठ तांत्रिक सहायक कार्यालयीन।

17. ऐसी अन्य सूचनाये जो विहीत की जाये :–

- आवश्यकता अनुसार।